प्रेषक,

शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा)उ0प्र0,
प्रयागराज।

सेवा में,

1–समस्त कुलसचिव
राज्य विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश।

2–समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3–समस्त प्राचार्य / प्राचार्या,
राजकीय / सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः डिग्री विकास / 266-68 / 2020–21 दिनांक 27 / 05 / 2020

विषयः– **सरकारी कार्यालयों में करोना वायरस (कोविड–19) के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–9 / 2020 / 362 / सामान्य–का–4–2020–303 / 2020 टी0सी0 दिनांक 23 मई, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (छाया प्रति संलग्न) । जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश में कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए कार्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में पूर्व आदेश सं0 303 / सा–का–4–2020 दिनांक 20 मार्च, 2020 एवं सं0 314 / सा–का–4–2020 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुक्रम में निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं–

आप सभी कार्यालयों को खोलने की व्यवस्था करेंगे एवं स्वयं कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। कार्यालयों में प्रत्येक कार्यदिवस में 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे। इसके लिए आपके स्तर से आवश्यकता का निर्धारण करते हुए रोस्टर तय किया जाएगा। आप कार्यरत कर्मचारियों का रोस्टर इस प्रकार बना लें कि कर्मी अलटरनेट दिवस में कार्यालय आएं परन्तु इससे शासकीय कार्य में, कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। कार्यालय में कार्यावधि में सोशल डिस्टैन्सिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाए। प्रत्येक कर्मचारी अपने मोबाइल में यथासम्भव आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग करेंगे।

2– कार्यालय आने वाले कार्मिकों के लिए भी समय का आवंटन तीन पालियों में निम्नानुसार किया जाए:–

क– प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक

ख– प्रातः10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक

ग– प्रातः11:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक

3– रोस्टर के अनुसार घर से कार्य सम्पादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेंगे उन्हें आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

4– यह दिशा निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं तथा कोविड–19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं।

5– संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों (हॉट स्पॉट एरियाज) में कार्यालयों को बंद किए जाने के सम्बन्ध में जिला प्रशासन के स्तर से पृथक से निर्णय लिया जायेगा।

इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

डा0(वन्दना शर्मा)
शिक्षा निदेशक(उ0शि0)
उ0प्र0,प्रयागराज।

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-4

संख्या-9/2020/362/सामान्य-का-4-2020-303/2020टीसी

लखनऊ दिनांक: 23 मई, 2020

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था ।

उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कार्यालयों को खोले जाने के सम्बन्ध में पूर्व आदेश सं0 303/सा-का-4-2020 दिनांक 20 मार्च,2020 एवं सं0 314/सा-का-4-2020 दिनांक 17अप्रैल,2020 के अनुक्रम में निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किए जा रहे हैं-

प्रदेश के सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों को खोलने की व्यवस्था करेंगे एवं स्वयं कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। कार्यालयों में प्रत्येक कार्यदिवस में 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएगें। इसके लिए विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों के स्तर से आवश्यकता का निर्धारण करते हुए रोस्टर तय किया जाएगा। विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष कार्यरत कर्मचारियों का रोस्टर इस प्रकार बना लें कि कर्मी अलटरनेट दिवस में कार्यालय आएं परन्तु इससे शासकीय कार्य में, कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। कार्यालय में कार्यावधि में सोशल डिस्टैन्सिंग एवं अन्य सुरक्षात्मक उपायों का पूरा ध्यान रखा जाए। प्रत्येक कर्मचारी अपने मोबाइल में यथासम्भव आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर उसका उपयोग करेंगे।

2- कार्यालय आने वाले कार्मिकों के लिए भी समय का आवंटन तीन पालियों में निम्नानुसार किया जाए:-

क- प्रात: 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक

ख- प्रात: 10:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक

ग- प्रात: 11:00 बजे से सांय 7:00 बजे तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- रोस्टर के अनुसार घर से कार्य सम्पादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलैक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेगें उन्हें आवश्यकता पडने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

4- अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जाए।

5- यह दिशा निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नही होगें जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुडे हैं तथा कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं।

6- संक्रमण से प्रभावित क्षेत्रों (हॉट स्पॉट एरियाज) में कार्यालयों को बंद किए जाने के सम्बन्ध में जिला प्रशासन के स्तर से पृथक से निर्णय लिया जाएगा।

इन निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

<u>संख्या-9/2020/362(1)सा0-का-4-2020 तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश ।

3- निदेशक सूचना विभाग उ0प्र0 लखनऊ ।

आज्ञा से,
मुकुल सिहंल
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है ,अत :इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in